

भूमिका

भारत ही नहीं, विश्व के अन्य तमाम देशों के दलित, शोषित और सर्वहाराओं के इतिहास को उठाकर देखें तो उनमें सबसे बदतर स्थिति स्त्रियों की ही मिलती है। स्त्रियों को जो आदरणीय स्थान मिला है, वह मात्र धर्म ग्रंथों तक ही सीमित रह गया है। इसके अतिरिक्त वह सहचरी के नाम पर भोग्या और संगनी के नाम पर दासी बनकर रह गई हैं। प्रागैतिहासिक युग में अनुमान लगाया जाता है कि स्त्रियों की स्थिति काफी हद तक अच्छी थी, क्योंकि उस समय समाज मात्रसत्तात्मक था। इसी प्रकार वैदिक काल में भी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उत्तर वैदिक काल तक स्त्रियों को पुरुषों के समान ही दर्जा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद की स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। पुरुषों ने अपनी चालाकी का सहारा लेकर स्त्रियों को घर की चारदिवारी तक ही सीमित कर दिया और वहीं से स्त्री की स्थिति में गिरावट आने लगी। मध्ययुग तक आते-आते विशेष रूप से भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों और मुगलों के राज्य स्थापना के बाद स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आयी, खासकर मुस्लिम समाज की स्त्रियों की स्थिति में। इस पर इस्लाम धर्म की मान्यताओं और कुरान की आयतों का सहारा लेकर तथा उन आयतों की गलत व्याख्या करके भारतीय मुस्लिम औरतों को जो नज़रबंद किया गया वह स्थिति आज भी गरीब और मध्यवर्ग की स्त्रियों के साथ दिखाई देती है, वहाँ स्त्री आज भी बिना पुरुषों की इजाज़त के नज़र उठाना भी गुनाह समझती है। आए दिन अखबारों, समाचार पत्रों में जो स्थिति मुस्लिम स्त्री की दिखाई देती है तथा उलेमाओं द्वारा धर्म के नाम पर जो अधिकार उसे बताए जाते हैं। धार्मिक पाबंदियों में उसे रखा जाता है तथा वही उसकी दुनिया बताई जाती है। मुस्लिम समाज में स्त्री की इस स्थिति ने मुझे उद्वेलित किया। मुस्लिम समाज से स्वयं संबंधित होते हुए मैंने स्वयं मौलानाओं द्वारा बनाए गए नियमों को

स्त्रियों पर थोपते हुए देखा है। उसी सबको जानने की मंशा रखते हुए मैंने मुस्लिम स्त्री की समस्याओं से संबंधित शोध करना आवश्यक समझा ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सके की क्या वाकई मुस्लिम स्त्री की वही स्थिति धार्मिक ग्रन्थों में भी है, जो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी मौलवी व उलेमाओं ने बना रखी है। जब आज समय विकास की ओर आधुनिकता की ढोल पीट रहा है तो इस समय मुस्लिम स्त्री की स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं ? यदि आए हैं तो उसकी स्थिति क्या है ? कहीं ऐसा तो नहीं इस समाज में आधुनिकता केवल गिनवाने के लिए आई और व्यवहार में बहुत ही कम।

मैंने साहित्य के माध्यम से स्त्री समस्याओं व उसकी वास्तविक स्थिति को जानने व समझने का प्रयास किया है। मेरे शोध का विषय “ठीकरे की मंगनी और चंद्रगिरी के किनारे में मुस्लिम औरत का जीवन” है। यह मेरा तुलनात्मक शोध है, मैंने इस शोध में हिंदी की विख्यात उपन्यासकार नासिरा शर्मा का ‘ठीकरे की मंगनी’ उपन्यास तथा तुलनात्मक अध्ययन के लिए कन्नड़ की लेखिका सारा अबूबकर के कन्नड़ उपन्यास का हिंदी अनुवाद ‘चंद्रगिरी के किनारे’ उपन्यास को लिया है जो मूलतः कन्नड़ में 1984 में प्रकाशित हुआ था। इसका हिन्दी अनुवाद 2008 में काशीनाथ अंबलगे द्वारा किया गया है। इस तुलनात्मक शोध को करने के पीछे मेरा उद्देश्य उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के मुस्लिम समाज व मुस्लिम स्त्री की समस्याओं और उनकी स्थिति को जानने की कोशिश है। इन कुरीतियों, रूढ़ियों और धर्म से पनपने वाली समस्याओं के कारण मुस्लिम स्त्रियों की होने वाली बदहाली को साहित्य में किस प्रकार स्थान मिला उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई ? यह मेरे शोध का प्रस्थान बिन्दु रहा है। इन उपन्यासों के अलावा मैंने मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ पवित्र कुरान और हदिसों का भी अध्ययन किया। इस शोध को करने पर मुझे मेरे सवालों का जवाब तो मिला साथ ही मुस्लिम समाज में जो स्थिति स्त्री की है और धार्मिक ग्रन्थों में जो स्थिति है उनकी जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि जो अधिकार पवित्र

कुरान और हदिसों में है वह अधिकार मात्र सैद्धांतिक है, व्यवहारिक स्तर पर उन्हें नहीं अपनाया जाता। इस्लाम धर्म ने तो औरतों को अधिकार उसकी सुविधानुसार दे दिये थे, लेकिन इस्लाम धर्म के रखवाले कट्टरपंथी मौलवियों ने इन्हें अपनी सुविधानुसार बना कर समाज के सामने पेश किया है। मुस्लिम समाज का गरीब अशिक्षित वर्ग इन मौलवियों की चपेट में है और वह वर्ग इन नियमों व कानून को मानने पर बाध्य है। इस शोध को करने से मुझे मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका भी मिला। शोध सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत विषय में मुस्लिम स्त्री का अध्ययन उपन्यास की स्त्रियों तक ही सीमित रहा है।

मैंने अपने लघु शोध प्रबंध “ठीकरे की मंगनी और चंद्रगिरी के किनारे में मुस्लिम औरत का जीवन” की आधार सामग्री के रूप में ‘ठीकरे की मंगनी’ नासिरा शर्मा कृत और ‘चंद्रगिरी के किनारे’ सारा अबूबकर कृत उपन्यासों का उपयोग किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसे चार निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया है।

प्रथम अध्याय :- नासिरा शर्मा और सारा अबूबकर का समय और समाज

द्वितीय अध्याय :- मुस्लिम समाज और स्त्री

तृतीय अध्याय :- ‘ठीकरे की मंगनी’ और ‘चंद्रगिरी के किनारे’ में मुस्लिम स्त्री

चतुर्थ अध्याय :- मुस्लिम स्त्री की चेतना

प्रथम अध्याय :- नासिरा शर्मा और सारा अबूबकर का समय और समाज में हिंदी और कन्नड़ की प्रख्यात लेखिकाओं के समय और समाज को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें दो उप-अध्याय हैं। पहले उप-अध्याय में नासिरा शर्मा के जीवन और समाज को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हमें नासिरा शर्मा को करीब से जानने का मौका

मिलेगा। दूसरे उप-अध्याय में सारा अबूबकर के जीवन और समाज को दर्शाया गया है, इसके माध्यम से उनके जीवन को जानने व समझने का प्रयास किया जाएगा।

द्वितीय अध्याय :- **मुस्लिम समाज और स्त्री** इस अध्याय में मुस्लिम समाज में स्त्री की क्या स्थिति है? इसको जानने की एक नई दृष्टि मिलेगी।

तृतीय अध्याय :- **‘ठीकरे की मंगनी’ और ‘चंद्रगिरी के किनारे’ में मुस्लिम स्त्री** में दोनों उपन्यासों में चित्रित मुस्लिम स्त्रियों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल मिला कर तीन उप-अध्याय हैं। पहले उप-अध्याय में मुस्लिम स्त्री के पारिवारिक, समाजिक, धार्मिक शोषण को दिखाया गया है। दूसरे उप-अध्याय में मुस्लिम स्त्रियों की दुर्दशा के पीछे धार्मिक और इस्लामिक मान्यताओं की भूमिका की पड़ताल की गई है। तीसरे उप-अध्याय में आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के घेरे में घिरी मुस्लिम स्त्री की छटपटाहट को दिखाने का प्रयास है।

चतुर्थ अध्याय- **मुस्लिम स्त्री की चेतना** में आधुनिकता के कारण आई जागरूकता और उसके प्रभावों का चित्रण किया गया है। इसे भी तीन उप-अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले उप-अध्याय में नवजागरण के बाद आई आधुनिकता और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में आए परिवर्तन को दिखाया है। दूसरे उप-अध्याय में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा के कारण उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को दिखाया गया है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुस्लिम स्त्री के जीवन में आए परिवर्तन और अपने अस्तित्व को पाने की ललक का वर्णन तीसरे उप-अध्याय में किया गया है। चार अध्यायों की समाप्ति के बाद शोध का उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। इसमें शोध विषय की संक्षिप्त व्याख्या एवं संपूर्ण अध्ययन के फलस्वरूप उपलब्ध निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। लघु शोध प्रबंध के

अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है जिसमें इस कार्य में प्रयुक्त प्रमुख और चुनी हुई अन्य सामग्रियों का उल्लेख किया गया है

प्रविधि के रूप में लघु शोध प्रबंध में तुलनात्मक, आलोचनात्मक, वर्णनात्मक शोध-प्रविधियों का उपयोग किया गया है। जिसके आधार पर मुस्लिम स्त्री जीवन के अभिव्यक्त तथ्यों का तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण एवं विविध आयामों का आलोचनात्मक दृष्टि से आकलन करते हुये वर्णनात्मक विधि को अपनाया गया है।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को पूरा करने में जिन लोगो ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया मैं उनके प्रति आभारी हूँ। मैं शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. सूरज पालीवाल जी की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शोध कार्य करने के लिए प्रेरित किया बल्कि शोध के दौरान आई समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव मेरे साथ रहे। आपने मुझे लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साहित्य विभाग के सभी गुरुजनों के प्रति आभार प्रदान करती हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे सहयोग प्रदान किया।

इस लघु शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरे प्रथम गुरु अर्थात मेरे अम्मी-पापा जी का सहयोग सर्वोच्च रहा है, उन्होंने मेरे कार्यों का निर्वाह करके मुझे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनके प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए यह प्रबंध उन्हीं को समर्पित करती हूँ। साथ ही मेरी बहनों का भी सहयोग रहा और मेरे बड़े भाई यदुवंश यादव की आभारी हूँ, जिन्होंने हर समय मेरी समस्याओं का समाधान किया और साथ ही सकारात्मक सोच के साथ शोध करने को प्रेरित किया। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ-साथ मेरे मित्र ध्रुव कुमार, गोविंद यादव, अफसर हुसैन, ऋचा और साथ ही अन्य सभी मित्रों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समय-समय पर मेरी सहायता की।

इसके साथ ही साहित्य विद्यापीठ के सहयोगी संदीप जी और नितीश जी की आभारी हूँ जिनकी वजह से प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मुझे विभाग संबंधी कार्य में मदद मिली ।

अंजुम